प्रारूप—23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा - किमिपावेज मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रवरौली

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा - किमिपावेज मो० मा० परियोजना के निर्माण हेतु (...... हे0 आरक्षित वन भूमि × हे0 सिविल सोयम भूमि 3.486 हे0 वन पंचायत भूमि 1.190 हे0) अर्थात कुल 4.676 हे0 वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रवरौली द्वारा दिनांक 21.2.015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रवरौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पंचायत रवरौली
जिला अल्मोड़ा

प्रारूप –23.1

दिनांक 21.2.015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत स्वेयोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		गोविन्दसिंह
		महिपालसिंह
		गोविन्दराम
		गोपालसिंह देवभक्ती देवी
		कमला देवी इन्दरी देवी
		मोहनी देवी

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में ड्योड़ा – किमिपालैंग मोटर मार्ग,

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बमनगाँव

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ड्योड़ा - किमिपालैंग मो0 परियोजना के निर्माण हेतु (.................. है0 आरक्षित वन भूमि .... है0 सिविल सोयम भूमि 3.486 है0 वन पंचायत भूमि 1.190 है0) अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बमनगाँव द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बमनगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
बमनगाँव

प्रधान
ग्राम पंचायत बमनगाँव
वि0 ख0 (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

जानकी देवी

प्रारुप –23.1

दिनांक 21·2·15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ....[illegible]....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	आनन्द गिरी	आनन्द गिरी
	चन्द्रदत्त	चन्द्रदत्त
	नवीन चन्द	नवीन चन्द
	सुरेश चन्द्र	[illegible]
	मोहन गिरी	मोहन गिरी
	कृष्णा नन्द	कृष्णा नन्द

ग्राम प्रधान /सरपंच

नवीन चन्द्र
चन्द्रदत्त
[illegible] गिरी

Copy of [illegible]

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा मिठिपालेग मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारखेतु

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा मिठिपालेग मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.......... है0 आरक्षित वन भूमि .... है0 सिविल सोयम भूमि 3.486 है0 वन पंचायत भूमि 1.196 है0) अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारखेतु द्वारा दिनांक 21.2.015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारखेतु के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप –23.1

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हरसवेलू

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	प्रभत नाथ	प्रभत नाथ
	जोगुली देवी	जोगुली देवी
	पार्वती देवी	
	दीपा देवी	
	लीला देवी	
	शान्ती देवी	

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा-मिकियासैंण मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जाख / परहड़ा
तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा मिकियासैंण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (........ हे0 आरक्षित वन भूमि .... हे0 सिविल सोयम भूमि 3.486 हे0 वन पंचायत भूमि 1.190 हे0) अर्थात कुल 4.676 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जाख द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जाख के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

जगदीश
ग्राम प्रधान /सरपंच मुहर सहित

मांगई देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जाख
सल्ट (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत जाख
पट्टी ...
पो. जाख (जिला-अल्मोड़ा)

उमादेवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जाख
पो0 जाख जि: सल्ट
जिला अ.....

प्रारूप –25.1

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जाख / [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	चन्दनसिंह	[illegible]
	[illegible] (दी(प))	हरीसिंह
	खिरालसिंह	गीता देवी
	[illegible]	[illegible] (हरिदत्त)
	[illegible]	भूपालसिंह
	[illegible]	टीकाराम

मांगाई देवी
प्रधान
ग्राम पचायत जाख
सल्ट (अल्मोड़ा)

[illegible]
सरपंच
वन पंचायत जाख
पट्टी [illegible]
पो० जाख (जिला-अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच

उमादेवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जाख
पो० जाख वि० ख० सल्ट
जिला अल्मोड़ा

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के हरड़ा–खिरकिया–सैण मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ..... जाख

तहसील .... जिला ..... अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा .... के अन्तर्गत हरड़ा खिरकिया सैण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.......... हे0 आरक्षित वन भूमि .... हे0 सिविल सोयम भूमि 3.486 हे0 वन पंचायत भूमि 1.190 हे0) अर्थात कुल 4.676 हे0 वन भूमि का ..... लो० नि० वि० ..... विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..... जाख .... द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..... जाख .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ..... लो० नि० वि० ..... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

मांगई देवी
प्रधान
ग्राम पचायत जाख
सल्ट (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पंचायत जाख
पट्टी तल्ला सल्ट
पो० जाख (जिला–अल्मोड़ा)

उमा देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जाख
पो० जाख वि० ख० सल्ट
जिला अल्मोड़ा

प्रारूप –23.1

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जारल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	चन्द्रासिंह	राम गोविन्द सिंह
	[illegible] (दीवान)	हरीसिंह
		गीता देवी
	खुशालसिंह [illegible]	हुक्कमराम
	माधोसिंह	मोहनराम
	[illegible] [illegible]	उदेराम

ग्राम प्रधान / सरपंच

मांगई देवी
प्रधान
ग्राम पचायत जारल
सल्ट (अल्मोड़ा)

[illegible]
सरपंच
वन पंचायत जारल
पट्टी [illegible] सल्ट
पो० जारल (जिला-अल्मोड़ा)

उमा देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जारल
पो० जारल वि० ख० सल्ट
जिला अल्मोड़ा

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा - भिकियासैंण मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डुंगरी / दरमोली

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा - भिकियासैंण मो० मा० परियोजना के निर्माण हेतु (............ है0 आरक्षित वन भूमि .... है0 सिविल सोयम भूमि 3.486 है0 वन पंचायत भूमि 1.198 है0) अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुंगरी / दरमोली द्वारा दिनांक 21/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुंगरी / दरमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० - प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
डुंगरी
वि० ख० सल्ट

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम सभा
विकास खण्ड सल्ट (अल्मोड़ा)

Dev. of Nat. land...

प्रारुप –23.1

दिनांक 21/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कुमर्ची / हवालबाग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		उत्तमसिंह
		प्रतापसिंह
		[illegible]
		धना देवी
		रुक्मणी

ग्राम प्रधान /सरपंच

प्रधान
ग्राम [illegible]
विकास खण्ड सदर (अल्मोड़ा)

प्रारूप--23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा - (भिकियासैंण मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तराड़ी

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा (भिकियासैंण मो.मा. परियोजना के निर्माण हेतु (........ हे0 आरक्षित वन भूमि .... हे0 सिविल सोयम भूमि 3.486 हे0 वन पंचायत भूमि 1.190 हे0) अर्थात कुल 4.676 हे0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तराड़ी द्वारा दिनांक 21-02-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तराड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत तराड़ी

प्रारूप –23.1

दिनांक 21-02-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	पूरन सिंह	पूरनसिंह
	भुवन सिंह	भुवनसिंह
	धीरेन्द्रसिंह	Dhirendra
	गंगा देवी	गंगा देवी

ग्राम प्रधान /सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]

प्रारूप—23

परियोजना का नाम :— हरड़ा भिक्यासैन मोटर मार्ग,

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बमोड़ा

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा भिक्यासैन मो० मा० परियोजना के निर्माण हेतु (............ है0 आरक्षित वन भूमि .... है0 सिविल सोयम भूमि 3.486 है0 वन पंचायत भूमि 1.190 है0) अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बमोड़ा द्वारा दिनांक 21/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बमोड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वी० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

शान्ती देवी
शान्ती देवी
प्रधान ग्राम पंचायत बमोड़ा
(अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
पंकज
अल्मोड़ा

सरपंच
वन पंचायत बमोड़ा
पो0-तथा (अल्मोड़ा)

प्रारुप –23.1

दिनांक 21/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बमोड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दलीप सिंह	[signature]
	आनन्द सिंह तड़ियाल	[signature]
	गोपालराम	
	चितरराम	

ग्राम प्रधान /सरपंच

शान्ती देवी
शान्ता देवी
प्रधान ग्राम पंचायत बमोड़ा
[illegible] (अल्मोड़ा)

[signature]
सरपंच
वन पंचायत बमोड़ा
[illegible] (अल्मोड़ा)

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा - किमिधालैंण मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तया

तहसील .... जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरड़ा - किमिधालैंण मो० मा० परियोजना के निर्माण हेतु (.......... ....है0 आरक्षित वन भूमि ....है0 सिविल सोयम भूमि 3.486 है0 वन पंचायत भूमि 1.190 है0) अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तया द्वारा दिनांक 21-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम सचिव — ग्राम विकास अधिकारी, तया, वि० ख० - हवालबाग अल्मोड़ा

सरपंच, ग्राम सभा—तया

ग्राम प्रधान /सरपंच मुहर सहित

हेमा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत तया, वि० ख० धौलादेवी (अल्मोड़ा)

प्रारूप –23.1

दिनांक 21-2-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रथा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		देव सिंह
		मोहनी देवी
		अमर रावत
		खुशाल सिंह
		देवी सिंह
		किशन सिंह

सरपंच
ग्राम सभा–[illegible]

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में द्वारा-भिकियासैंण मोटर मार्ग)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पीपलगांव
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारा-भिकियासैंण मो०मा० परियोजना के निर्माण हेतु (........ है0 आरक्षित वन भूमि .... है0 सिविल सोयम भूमि 3.486 है0 वन पंचायत भूमि 1.190 है0) अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पीपलगांव द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पीपलगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

गंगादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत–पीपलगाँव
पो0–कोटानियाई
वि0ख0भिकियासैंण(अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप –23.1

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पीपलगाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहनसिंह	मोहनसिंह
2-	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह
3-	जीवन सिंह	जीवनसिंह
4-	थान सिंह	[illegible]
5-	फकीर सिंह	[illegible]
6	शान्तीदेवी	शान्तीदेवी

गंगादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत–पीपलगाँव
पो0–कोटागिवाई
(विकासखण्ड–सिनिद्यासैण, (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत पीपलगाँव
त० सिनियासैण (अल्मो...

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– डूरणा - मिकियासैण - भोरर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – तरा
तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डूरणा - मिकियासैण परियोजना के निर्माण हेतु (– हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.406 हे0 सिविल सोयम भूमि – हे0, वन् पंचायत भूमि 1.190 हे0) अर्थात कुल 4.596 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तरा द्वारा दिनांक 21-2-015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पं० तरा
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

स० क्षे० पं०
सदस्य
क्षेत्र पंचायत डांग
वि0ख0सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम पंचायत तरा
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– हरबा – भिकियासैंण मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सल्ट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सल्ट

उपखण्ड सल्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत हरबा – भिकियासैंण ———————— (———है0 आरक्षित वन भूमि, —— है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.676 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सल्ट) की दिनांक 21-2-015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एस० एस० राणा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एस० एस० राणा उपजिलाधिकारी सल्ट अध्यक्ष
2– श्री के० के० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य
3– श्री स्वराज्य नाथ सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट सदस्य / सचिव
4– श्री ———— बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हरबा – भिकियासैंण मोटर मार्ग ———— परियोजना हेतु 4.676 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सल्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ह्रस्वा- चिनियानौला परियोजना के निर्माण हेतु .... है0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सल्ट
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सल्ट
जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनांक 21-2-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तया

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देव सिंह पोखरार	देव सिंह
2.	हरीश राम	हरीश राम
3.	चन्दन राम	चन्दन राम
4.	भुवन सिंह	भुवन सिंह
5.	अशोक सिंह	
6.	सोनू देवी	सोनू देवी
7.	ललित सिंह	ललित
8.	लक्ष्मण सिंह	
9.	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
10.	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह

सोनू देवी

क्षे० पं० स०

सदस्य
क्षेत्र पंचायत डांग
वि०ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तया
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

ह० /–
ग्राम प्रधान
हेमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत तया
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date....25.02.15.............at time..3:00 PM..............at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring .... hect. for the Construction of ....Harara....Bhikiyasain....M.R..................... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

25.02.15

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ~~2.362~~ 4.676 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

25.02.15

जिला अधिकारी

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Rudraprayag

No :... **Dated:...............**

TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Recognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that.................hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction..of.....Harsha – Bhikiyasian...motor Road..........................

....

(Purpose for diversion of forest land) in.अल्मोड़ा........district falls within jurisdiction of..Taya...village(s) in.....Salt.....Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..0.874...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent ot it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

25.02.15

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– हरड़ा मिरयोलेन मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित हरड़ा मिरयोलेन मोटरमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.676 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

25.02.15
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।
जिलाधिकारी